न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
49/2025	28.05.2025	30-7-25

पुष्पा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा, ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 5, मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ——वादिया

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :—श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादिया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 806 रकबा 0.03 है0, ख0न0 807 रकबा 0.90 है0 ग्राम मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी में स्थित है। वादिया ने उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय वयनामा 2.3. 2005 तथा हिस्सा 1/2 जरिए पंजीकृत हक त्याग दिनांक 13.10.2007 गृहित कर खातेदारी प्राप्त की है लेकिन उक्त पंजीकृत दस्तावेजों में वादिया का नाम "पुष्पा" के बाद सरनेम शर्मा सहवन से अंकित होना रह गया था जबकि उक्त वर्णित आराजीयात की हाल जमाबंदी में दर्ज खातेदार पुष्पादेवी पत्नी ओमप्रकाश शर्मा व पुष्पा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 5 गंगापुर सिटी एक ही महिला के नाम है कोई अलग अलग महिलाएं नही है। वादिया के स्वयं के पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, जनाधार कार्ड, बैंकिग दस्तावेज इत्यादि मे वादिया का नाम पुष्पा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा अंकित है। इस प्रकार वादिया को खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख में सरनाम "देवी" के स्थान पर शर्मा के रूप मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वाद डिक्री फरमाया जाकर भूमि हाल ख0न0 806 रकबा 0.03 है0, ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

807 रकबा 0.90 है0 ग्राम मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी का खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम ''पुष्पादेवी'' के स्थान पर पुष्पा शर्मा संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी बाबजूद तामील उपस्थित नही हुए और ना ही प्रतिवादी की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत किया गया है।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 318, फोटोकॉपी पैन कार्ड, फोटोकॉपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2005, एवं दान पत्र 13.10.2017 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी पुष्पा, गवाह हर्षित गोयल, ओमप्रकाश शर्मा कराये है।

बहस विद्धान अभिभाषक वादिया सुनी गई।

वादिया के विद्धान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादिया का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वादिया के दस्तावेज पैन कार्ड एवं आधार कार्ड में वादिया का नाम पुष्पा शर्मा अंकित है तथा दान पत्र एवं विक्रय पत्र में वादिया का नाम पुष्पा देवी दर्ज किया गया है। अतः वादिया अपने नाम को शुद्ध कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाकर नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 318 ग्राम मिर्जापुर में अंकित नाम पुष्पादेवी पत्नी ओमप्रकाश शर्मा के स्थान पर पुष्पा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी।

पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:31:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट * गंगापुर सिटी (स0मा0) * सत्यमेव जयते

पुष्पा शर्मा बनाम लैण्ड होल्ड, दावा

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30-7-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:35 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

पुष्पा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा, ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 5, मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

—वादिया

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. —49 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ....मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाकर नकल जमाबंदी संवत 2073—76 खाता संख्या 318 ग्राम मिर्जापुर में अंकित नाम पुष्पादेवी पत्नी ओमप्रकाश शर्मा के स्थान पर पुष्पा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-7-25 को जारी किया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:35 IST
Reason: SelfAttested